(118)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1496–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–5–2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया जिला भोपाल, प्रकरण क्रमांक 62/अपील/2015–16.

1–ओमप्रकाश पिता श्री गंगाराम
2–सुरेश कुमार पिता श्री गंगाराम
3–गयाप्रसाद पिता श्री गंगाराम
निवासी ग्राम धमर्रा तहसील बैरसिया
जिला भोपाल म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–विमलाबाई पति श्री पदमसिंह पिता श्री गंगाराम
निवासी ग्राम धमर्रा तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0
हाल निवासी 54 अम्बेडकर नगर, टी.टी.नगर, भोपाल
2–सरोज पति श्री महेन्द्र पिता श्री गंगाराम
निवासी 37 महल कचहरी रोड, जूनी इंदौर म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मनोज रघुवंशी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–5–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय की नामान्तरण पंजी कमांक 18 पारित आदेश दिनांक 13–10–2013 के से हुये बटवारे के विरूद्ध

अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 13–7–2016 को लगभग दो वर्ष की अवधि के बाद अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील के साथ विलम्ब क्षमा हेतु धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–5–17 को अंतरिम आदेश पारित कर धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा किया जाकर प्रकरण में अभिलेख तलब किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में यह नहीं दर्शाया है कि उन्हें किसके माध्यम से तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई, जबकि विधि एवं प्रावधान अनुसार आदेश की जानकारी का दिनांक जानकारी का स्त्रोत साबित किया जाना चाहिये । यह भी नहीं दर्शाया है कि आदेश की प्रतिलिपि किसने प्राप्त की आदि तथ्यों पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय को ध्यान देना चाहिये था इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि समय सीमा अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि विलम्ब के संबंध में दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कारण न्यायालय के समक्ष बताना आवश्यक है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा धारा 5 के संबंध में अनेकों ऐसे न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये है जिसमें मुख्य रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि अपीलार्थी को न्यायालय के समक्ष दिन प्रतिदिन का हिसाब व दस्तावेजी सबूत के आधार पर विलम्ब क्षमा किये जाने को प्रमाणित करें । यह भी कहा गया कि धारा 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि विलम्ब क्षमा हेतु अपीलार्थी को पारित आदेश दिनांक के पश्चातवर्ती व्यतीत समय दिन प्रतिदिन के संबंध में स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है, किन्तु अपील आवेदन पत्र किस दिनांक को हुये बटवारे की जानकारी हुई, किस दिनांक को नकल प्राप्त हुई, किस दिनांक को आवेदन पत्र दिया, किस दिनांक को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, के संबंध में कोई स्पष्ट अभिकथन

नहीं किया गया है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत एआईआर 1987 दिल्ली 90 में विलम्ब स्पष्ट रूप से लापरवाही अभिनिर्धारित करते हुये आवेदन पत्र निरस्त कर दिया । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब का कारण सद्भाविक मान्य कर अपील का गुणदोष पर निराकरने हेतु अभिलेख तलब किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश में गंगाराम की पुत्रियों की सहमति बगैर आवेदकगण को भूमि का बंटवारा कर दिया गया है, जबकि नामान्तरण पंजी पर गंगाराम की पुत्रियॉ अनावेदिकागण के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा बंटवारा आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदिकागण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था इसलिये अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समय सीमा में माना है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि केवल विलम्ब के कारण तकनीकी आधार पर अपील खारिज नहीं की जानी चाहिये । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–5–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.